रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 129] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 1996/फाल्गुन 8, 1917
No. 129] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 1996/ PHALGUNA 8, 1917

SECRETARIAT LIBRARY INDIA

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1996

का०आ० 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम का धारा 5 के अधीन उसमें निहित शक्तियों को, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित साधारण उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों और अन्य मानकों के उल्लघंन के लिए किसी उद्योग, नगर निगम, नगर परिषद्, छावनी बोर्ड या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को निदेश जारी करने की शक्ति, इस शर्त के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, प्रत्यायोजित करती है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस प्रकार की कार्यवाही करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या वह स्वयं उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलंब ले सकेगी।

[फा० सं० 1(14)/96-पी० एल०]
एन० आर० कृष्णन, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1996

S.O. 157(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under Section 5 of the said Act to the Chairman, Central Pollution Control Board, the power to issue directions to any industry, municipal corporation, municipal council, cantonment board or any local or other authority for the violations of the notified general emission and effluent standards under the Environment (Protection) Rules, 1986, and other standards, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself invoke the provisions of Section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in the public interest.

[No. 1(14)/96-PL]
N. R. KRISHNAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996